बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
प्रारूप अधिसूचना

पटना, दिनांकः– 23/12/24

एस0 ओ0– दिनांक–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों/कामगारों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष में दो बार न्यूनतम मजदूरी की निर्धारित दरों पर अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की घोषणा की जाती है।

अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा–5 की उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप धारा–(1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा–5 की धारा धारा–1 के खण्ड–(बी) के अधीन तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से दिनांक–22.11.2024 की बैठक में परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या–09, 10 दिनांक–30.09.2024 **(विक्रय प्रोत्साहन नियोजन)**, अधिसूचना संख्या–03, 04 दिनांक–30.09. 2024 **(घरेलू कामगार नियोजन)**, अधिसूचना संख्या–01, 02 दिनांक–30.09.2024 **(पापड़ उद्योग, नाविक के नियोजन, अगरबत्ती उद्योग, सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर)** के अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के लिए में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों को समान्य नियोजन के अन्तर्गत लागू दरों के समान किये जाने एवं उपरोक्त वर्णित अधिसूचनाओं में अंकित नियोजनों को समान्य नियोजन में समाहित किये जाने की घोषणा करते हैं। इस प्रकार लागू दरें सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजनों में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतेय होगी।

इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा–4 की उप धारा (1) के खण्ड–(III) के अन्तर्गत होगी।

यह अधिसूचना दिनांक–01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

एतद् द्वारा प्रारूप अधिसूचना के गजट प्रकाशन की तिथि से दो माह की अवधि भी निर्धारित करते है, जिस अवधि में इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्ति अपना आपत्ति एवं सुझाव समर्पित कर सकते है। यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे श्रमायुक्त बिहार को अथवा lcbihar@bihar.gov.in पर ई–मेल से भेजा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये आपत्ति अथवा सुझाव को उपर्युक्त अंकित अवधि के पश्चात राज्य सरकार द्वारा विचारित किया जाएगा।

(संख्या–5/एम0डब्लू0–40–15/2021 श्र0सं0– 7114)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.12.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक–

एस0ओ0– दिनांक– का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या–5 / एम0डब्लू0–40–15 / 2021 श्र0सं0–)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date

The Governor of Bihar is pleased to categorize workers/employees on the basis of their skill into following categories on the basis of the recommendation of the Bihar state minimum wage advisory board.

The period of two months from date of publication of this notification in the official gazette is also decided herewith, during this period the persons affected or likely to be effected can submit their objections or suggestions. If there is any objections or suggestions can be submitted to Labour Commissioner, Bihar or can be sent on lcbihar@bihar.gov.in through email. The objections or suggestions will be considered by the State government after the expiry of period of three month.

(No-5/ M.W.- 40-15/2021 L&R- ~~7115~~ 7114)

By the order of the Governor of Bihar,

23.12.24

(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.

ज्ञापांक–5 / एम०डब्लू–40–15 / 2021 श्र०सं०– 7115 पटना, दिनांक– 23/12/24

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

23.12.24

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

अजित

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–15/2021 श्र०सं०– 7115 पटना, दिनांक– 23/12/24

प्रतिलिपि– निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–15/2021 श्र०सं०– 7115 पटना, दिनांक– 23/12/24

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह–अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना–01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने–अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

23.12.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–15/2021 श्र०सं०– 7115 पटना, दिनांक– 23/12/24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.12.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।